"हर घर जल" जिले के रूप में प्रमाणित देश का पहला जिला

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्न पत्र :** सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, जल जीवन मिशन

संदर्भ

- जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर को भारत सरकार द्वारा "हर घर जल" जिले के रूप में प्रमाणित देश का पहला जिला घोषित किया गया है।
- ज्ञातव्य है कि बुरहानपुर ऐसा जिला बन गया है, जहां 'हर घर जल' योजना प्रमाणित रूप से 100 प्रतिशत पूरी हो चुकी है और इस जिले के हर परिवार को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

- बुरहानपुर, देश का एकमात्र जिला है, जहां 254 गांवों के सभी लोगों को नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है।
- विदित है कि 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन के शुभारंभ के समय बुरहानपुर में एक लाख से अधिक घरों में से केवल 36.54 प्रतिशत के पास नल कनेक्शन के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा था।
- कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न विभिन्न व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद पंचायत प्रतिनिधियों, जल समितियों और बुरहानपुर के जिला अधिकारियों के निरंतर प्रयासों से 34 महीने की अवधि के भीतर सभी 1 लाख 1 हजार 905 ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक नल के पानी के कनेक्शन की व्यवस्था की गई।

- वर्तमान में जिले के सभी घरों के अलावा, समस्त 640 विद्यालयों, 547 आंगनवाड़ी केंद्रों और 440 अन्य सार्वजनिक संस्थानों में नल कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- 440 सार्वजनिक संस्थानों में 167 ग्राम पंचायत, 50 स्वास्थ्य केंद्र, 109 सामुदायिक केंद्र, 45 आश्रमशालाएं, 2 सामुदायिक शौचालय और 67 अन्य सरकारी कार्यालय शामिल हैं।
- ज्ञातव्य है कि जल जीवन मिशन के तहत 129 लाख रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से भोपाल से लगभग 325 किलोमीटर दूर स्थित जिले में यह योजना लागू की गई थी।
- बुरहानपुर के प्रशासनिक ब्लॉक - बुरहानपुर और खकनार में 167 ग्राम पंचायतें और 254 गाँव हैं।
- जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक गांव में स्वच्छता समितियां गठित की गई हैं और 541 महिलाओं को पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

जल जीवन मिशन

- 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2024 तक देश के हर ग्रामीण घर में नल के पानी के कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन की घोषणा की थी।
- इस मिशन की कुल लागत लगभग 3.6 लाख करोड़ रुपये है, इसमें से केंद्र का हिस्सा लगभग 2.08 लाख करोड़ रुपये है।
- इसकी परिकल्पना ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए की गई है।
- कार्यक्रम अनिवार्य तत्वों के रूप में स्रोत स्थिरता उपायों को भी लागू करेगा, जैसे कि भूजल प्रबंधन, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के माध्यम से पुनर्भरण और पुन: उपयोग।
- जल जीवन मिशन पानी के लिए एक सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित होगा और इसमें मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार शामिल होगा।
- जेजेएम जल को एक जन आंदोलन स्वरूप प्रदान करना चाहता है, जिससे यह प्रत्येक की प्राथमिकता बन सके।
- मिशन का दृष्टिकोण प्रत्येक ग्रामीण परिवार में पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता का नियमित और दीर्घकालिक आधार पर किफायती सेवा वितरण शुल्क पर पेयजल आपूर्ति करना है, जिससे ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार हो सके।

मिशन की उपलब्धियां

- जल जीवन मिशन की शुरुआत लोगों के जीवन की गुणवत्ता और कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई थी। लॉकडाउन और कोविड -19 महामारी के प्रभावों के बावजूद मिशन को व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जा रहा है।
- फरवरी 2022 तक, ढाई साल से भी कम अवधि तथा कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के बावजूद जल जीवन मिशन ने 5.77 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों तक नल से जल उपलब्ध करा दिया है। परिणामस्वरूप आज देश के नौ करोड़ ग्रामीण घरों को नल से साफ पानी की आपूर्ति का लाभ मिल रहा है।
- 15 अगस्त, 2019 को मिशन की घोषणा होने के समय भारत में 19.27 करोड़ घरों में से केवल 3.23 करोड़ (17 प्रतिशत) घरों में ही पानी का कनेक्शन था।
- वर्तमान में 98 जिले, 1,129 प्रखंड, 66,067 ग्राम पंचायतें और 1,36,135 गांव 'हर घर जल' के सीमा में आ चुके हैं।
- गोवा, हरियाणा, तेलंगाना, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव में हर ग्रामीण घर में नल से जलापूर्ति की जा रही है।
- पंजाब (99 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (92.4 प्रतिशत), गुजरात (92 प्रतिशत) और बिहार (90 प्रतिशत) जैसे कई अन्य राज्य भी 2022 तक 'हर घर जल' के लक्ष्योन्मुख हैं।
- जापानी इंसेफेलाइटिस प्रभावित क्षेत्रों और गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है और मिशन इन क्षेत्रों में भी अच्छा काम कर रहा है।

वित्तपोषण

- केंद्रीय बजट 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचाने के लिये 'हर घर जल' के लिए 60,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- उपरोक्त के अलावा, वर्ष 2021-22 में राज्यों को 26,940 करोड़ रुपये आवंटित किये गये, जो ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थानों को जल तथा स्वच्छता संबंधी अनुदान दिये जाने की 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों से संबद्ध है।

- अगले पांच वर्षों, अर्थात 2025-26 तक के लिये 1,42,084 करोड़ रुपये के आश्वस्त वित्तपोषण का प्रावधान है।

जलापूर्ति अवसंरचना के निर्माण के साथ जल सेवा आपूर्ति पर केन्द्रित

- पूर्व के जलापूर्ति कार्यक्रमों से हटकर, जल जीवन मिशन का पूरा ध्यान न सिर्फ जलापूर्ति अवसंरचना के निर्माण तक है, अपितु जल सेवा आपूर्ति पर भी है।
- जल जीवन मिशन का मूलमंत्र है 'कोई पीछे न छूट जाये' और इस तरह, वह सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से ऊपर उठकर हर घर को नल से जल की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है।

जेजेएम और प्रौद्योगिकी

- जल जीवन मिशन प्रौद्योगिकी का प्रभावी और सार्थक उपयोग करता है, ताकि पारदर्शिता, जवाबदेही, निधियों का उचित उपयोग और सेवा आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
- जल जीवन मिशन के तहत तैयार की गई हर जलापूर्ति सम्पदा जियो-टैग के साथ है।
- हाइड्रो-जियो मॉरफोलॉजिकल (एचजीएम) मानचित्र का इस्तेमाल एक ग्राम योजना के लिये किया जाता है, ताकि पेयजल स्रोतों की पहचान की जा सके और जल-स्रोतों को पुनर्जीवित करने की अवसंरचना बनाई जाये।
- मिशन के तहत घरों में पानी के कनेक्शन को घर के मुखिया के आधार कार्ड नंबर से संबद्ध किया गया है। उल्लेखनीय है कि सभी वित्तीय लेन-देन को जन वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के जरिये किया जाता है।

निष्कर्ष

- जल जीवन मिशन के तहत गुणवत्ता-प्रभावित गांवों, आकांक्षी जिलों, अजा/अजजा बहुल गांवों, कम पानी वाले इलाकों और सांसद आदर्श ग्राम योजना के गांवों को प्राथमिकता के आधार पर नल से जल प्रदान किया जा रहा है।
- पिछले 24 महीनों में नल से जलापूर्ति में चार गुना बढ़ोतरी हुई है तथा वह 117 आकांक्षी जिलों में 24 लाख (9.3 प्रतिशत) से बढ़कर लगभग 1.36 करोड़ (40 प्रतिशत) घरों तक पहुंच गई है।

- अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, आंध्रप्रदेश, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, पुदुच्चेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तराखंड ने प्रत्येक स्कूल में नल से जल की व्यवस्था कर ली है।

स्रोत: द हिन्दू

गर्भवती महिलाओं के लिए पहल

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र :** महिला सम्बद्ध मुद्दे, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

संदर्भ

- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सूचित किया कि भारत सरकार ने सार्वजनिक अस्पतालों में गर्भावस्था और प्रसव के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं सहित सभी गर्भवती महिलाओं को वित्तीय और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए कई पहलों का संचालन कर रही है।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

जननी सुरक्षा योजना (JSY)

- जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देते हुए मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना है।
- इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2005 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी।

- यह योजना कम निष्पादन वाले राज्यों (एलपीएस) पर विशेष बल के साथ सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में संचालित की जा रही है।
- जेएसवाई एक 100% केन्द्र प्रायोजित योजना है।
- यह योजना गर्भावस्था के दौरान प्रसूति पूर्व देखभाल, प्रसव के दौरान संस्थागत देखभाल तथा प्रसूति उपरांत देखभाल के साथ-साथ नकद सहायता भी प्रदान करती है।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके)

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) प्रत्येक गर्भवती महिला को निःशुल्क परिवहन, निदान, दवाओं, अन्य उपभोग्य सामग्रियों, आहार और रक्त के प्रावधान के साथ-साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में सिजेरियन सेक्शन सहित मुफ्त प्रसव का अधिकार देता है।
- विदित है कि भारत सरकार ने 1 जून, 2011 को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) की शुरुआत की थी।
- इस योजना का अनुमान है कि 12 मिलियन से अधिक गर्भवती महिलाओं को लाभ होगा।
- गर्भवती महिलाओं के लिए नि: शुल्क अनुदान निम्नलिखित हैं:
    - मुफ्त और नकद रहित वितरण
    - मुफ्त सी-सेक्शन
    - मुफ्त दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों
    - नि: शुल्क निदान
    - स्वास्थ्य संस्थानों में रहने के दौरान नि: शुल्क आहार
    - रक्त का नि: शुल्क प्रावधान
    - उपयोगकर्ता शुल्क से छूट
    - घर से स्वास्थ्य संस्थानों तक मुफ्त परिवहन
    - रेफरल के मामले में सुविधाओं के बीच मुफ्त परिवहन
    - 48घंटे रहने के बाद संस्थानों से घर वापस मुफ्त ड्रॉप
- भारत सरकार ने उत्तराखंड और बुंदेलखंड क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश के दूरदराज के क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रसव के समय गर्भवती महिलाओं को उनके घरों के पास सभी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

- व्यापक आरएमएनसीएएच+ए सेवाओं के प्रावधान के लिए बुनियादी ढांचे, उपकरण और प्रशिक्षित जनशक्ति के मामले में देश भर में 25,000 से अधिक 'डिलीवरी पॉइंट' को सुदृढ़ किया गया है।
- माताओं और बच्चों को प्रदान की जाने वाली देखभाल की गुणवत्ता में सुधार के लिए उच्च केसलोड सुविधाओं पर मातृ एवं बाल स्वास्थ्य (एमसीएच) विंग की स्थापना।
- जनशक्ति, रक्त भंडारण इकाइयों, रेफरल लिंकेज आदि को सुनिश्चित करके प्रथम रेफरल इकाइयों (एफआरयू) का कार्यकरण।
- घर से अस्पताल तक मुफ्त परिवहन, रेफरल के मामले में अंतर सुविधा हस्तांतरण और घर वापस छोड़ने के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए 102 सेवाओं का संचालन।
- संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में सुधार के लिए दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में जन्म प्रतीक्षा गृह (बीडब्ल्यूएच) स्थापित किए गए हैं।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) गर्भवती महिलाओं को हर महीने के 9वें दिन एक निश्चित दिन, नि:शुल्क और गुणवत्तापूर्ण प्रसव-पूर्व देखभाल प्रदान करता है।
- प्रसूति उच्च निर्भरता इकाई (एचडीयू) और गहन देखभाल इकाई (आईसीयू) - जटिल गर्भधारण को संभालने के लिए देश भर में उच्च केस लोड तृतीयक देखभाल सुविधाओं में प्रसूति एचडीयू / आईसीयू की स्थापना।
- लक्ष्य (लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव) लेबर रूम और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार किया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान और तत्काल प्रसव के बाद सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण देखभाल सुविधा प्राप्त हो।
- मासिक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी) पोषण सहित मातृ एवं शिशु देखभाल के प्रावधान के लिए एक आउटरीच गतिविधि है।
- संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी)।
- कुशल जन्म उपस्थिति (एसबीए) प्रशिक्षित एएनएम द्वारा जन्म माइक्रोप्लानिंग और जन्म तैयारी।
- गर्भवती महिलाओं को आहार, आराम, गर्भावस्था के खतरे के संकेत, लाभ योजनाओं और संस्थागत प्रसव के बारे में शिक्षित करने के लिए एमसीपी कार्ड और सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका वितरित की जाती है।

- विशेष रूप से जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की पहुंच में सुधार के लिए आउटरीच शिविरों का प्रावधान किया गया है। इस मंच का उपयोग मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं, सामुदायिक जुड़ाव के साथ-साथ उच्च जोखिम वाले गर्भधारण को ट्रैक करने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है।

स्रोत: पीआईबी

रूस-यूक्रेन अनाज निर्यात सौदा

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्न पत्र :** अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

- यूक्रेन और रूस ने 'मिरर' समझौते (Mirror Deals) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- विदित है कि यह समझौता कीव को काला सागर (Black Sea) के माध्यम से अनाज (Grain) के निर्यात को पुनः शुरू करने की अनुमति प्रदान करेगा।

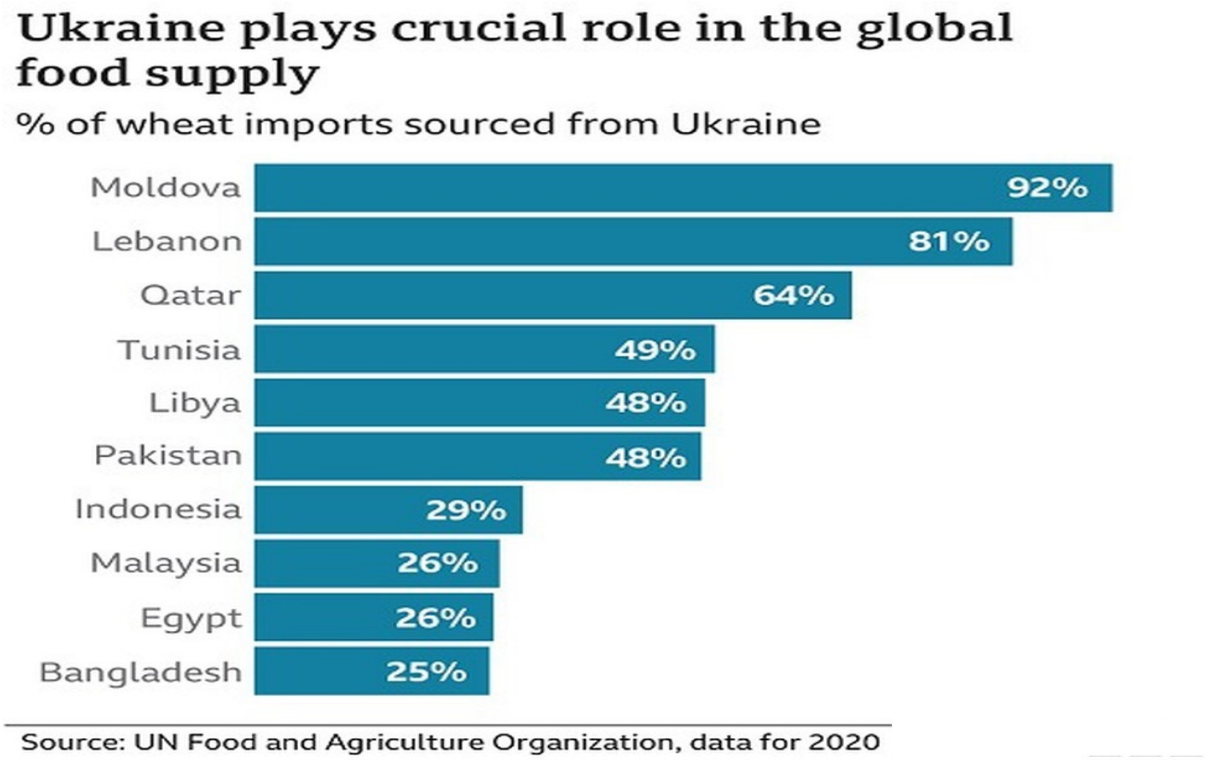

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

समझौता और प्रभाव

- रूस और यूक्रेन ने तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के साथ अलग-अलग समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
- इससे लाखों टन की सख्त जरूरत वाले यूक्रेनी अनाज के साथ ही रूसी अनाज और उर्वरक निर्यात का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
- इस समझौते ने युद्धकालीन गतिरोध को समाप्त कर दिया, जिसने विश्व भर में खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया था।
- रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और यूक्रेन के बुनियादी ढांचा मंत्री अलेक्जेंडर कुब्राकोव ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और तुर्की के रक्षा मंत्री हुलुसी अकार के साथ अलग-अलग समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
- यूक्रेन ने समझौते के तहत केवल उन निर्णयों के समर्थन की बात कही है, जो यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्रों की सुरक्षा, काला सागर में यूक्रेन के सशस्त्र बलों की मजबूत स्थिति और विश्व बाजारों में यूक्रेनी कृषि उत्पादों के सुरक्षित निर्यात की गारंटी देंगे।

अनाज निर्यात सौदे पर हस्ताक्षर क्यों किया गया?

- यूक्रेन गेहूं, मक्का और सूरजमुखी के तेल के विश्व के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है।
- रूस के यूक्रेन पर आक्रमण और इसके बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी ने नौ परिवहन को बाधित किया।
- विदित है कि कुछ अनाजों का यूरोप के रास्ते रेल, सड़क और नदी के माध्यम से आपूर्ति की जाती है, किन्तु करीब पांच महीने के युद्ध के दौरान गेहूं और जौ जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हुई।
- ज्ञातव्य है कि यूक्रेनी और रूसी सैन्य प्रतिनिधिमंडल ने पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र की एक योजना पर एक अस्थायी समझौते पर पहुंचे, जो रूस को अपने अनाज और उर्वरकों का निर्यात करने की अनुमति देगा।
- यूक्रेन के अनुसार, उनका देश तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर की है, जबकि रूस के साथ एक अलग 'मिरर' समझौते (Mirror Deals) पर हस्ताक्षर किया गया है।

अनाज निर्यात सौदा क्या है?

- यह सौदा जहाजों के सुरक्षित मार्ग के लिए प्रावधान करता है।
- तुर्की के अनुसार, इस समझौते के अंतर्गत इस्तांबुल में एक नियंत्रण केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें संयुक्त राष्ट्र, तुर्की, रूसी और यूक्रेनी अधिकारियों के कर्मचारी शामिल होंगे और प्रक्रिया के संचालन और उसे समन्वित करने का प्रयास करेंगे।
- यद्यपि, जहाजों को हथियारों के आवाजाही पर प्रतिबंध होगा।
- कोई भी रूसी जहाज जहाजों का अनुरक्षक नहीं होगा और यूक्रेनी बंदरगाहों पर कोई रूसी प्रतिनिधि मौजूद नहीं होगा।
- यूक्रेन को 22 मिलियन टन अनाज और अन्य कृषि उत्पादों का निर्यात करने की संभावना थी, जो युद्ध के कारण काला सागर बंदरगाहों में फंस गए हैं।
- सबसे पहले यूक्रेन के कृषि उत्पादन और रूस के अनाज और उर्वरक को अप्रैल के अंत में मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और कीव में यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ बैठकों के दौरान विश्व बाजारों में वापस लाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को उठाया गया।
- युद्ध के कारण कई विकासशील देशों में खाद्य आपूर्ति बाधित होने की संभावन के दृष्टिगत यूएन ने जून की शुरुआत में एक पैकेज डील का प्रस्ताव रखा।

अनाज की आवाजाही क्यों प्रभावित हुई?

- मॉस्को ने यूक्रेन पर सुरक्षित शिपिंग की अनुमति देने के लिए बंदरगाहों पर समुद्री खदानों को हटाने में विफल रहने का आरोप लगाया और हथियारों के लिए आने वाले जहाजों की जांच करने के अपने अधिकार पर बल दिया।
- यूक्रेन ने तर्क दिया है कि रूस के बंदरगाह नाकाबंदी और काला सागर से मिसाइलों के प्रक्षेपण ने किसी भी शिपमेंट को अव्यवहारिक बना दिया है।
- यूक्रेन ने अंतरराष्ट्रीय गारंटी मांगी है कि क्रेमलिन ओडेसा के काला सागर बंदरगाह पर हमला करने के लिए सुरक्षित गलियारों का उपयोग नहीं करेगा।
- यूक्रेन ने रूस पर पूर्वी यूक्रेन से अनाज की चोरी करने और यूक्रेन के खेतों में आग लगाने के लिए जानबूझकर गोलाबारी करने का आरोप लगाया।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस